[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA Ministry of Corporate Affairs Notification

New Delhi, 18th September, 2014.

S.O. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 210A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee to be called the National Advisory Committee on Accounting Standards, consisting of the following persons to advise the Central Government on the formulation and laying down of accounting policies and accounting standards for adoption by companies or class of companies under the said Act, namely:-

S. No.	Name and Designation

(1) Shri Amarjit Chopra, Chartered Accountant

- (2) Dr. A.S. Durga Prasad,
 President, Nominee of The
 Institute of Cost and Works
 Accountants of India.
- (3) Shri R. Sridharan, President, Nominee of The Institute of Company Secretaries of India.
- (4) CA. K. Raghu, President, Nominee of The Institute of Chartered Accountants of India.
- Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs.

Post Held

Chairperson, [Nominated under clause (a) of sub-section (2) of section 210A]

Member, [nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 210A]

Member, [nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 210A]

Member, [nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 210A]

Member, [Nominated under clause (c) of sub-section (2) of section 210A] (6) Shri Sudarshan Sen, Chief General Manager-in-Charge, Nominee of Reserve Bank of India

Member, [nominated under clause (d) of sub- section (2) of section 210A]

(7) Shri P Sesh Kumar, Director General (Commercial), Nominee of Comptroller and Auditor General of India

Member, [nominated under clause (e) of sub- section (2) of section 210A]

(8) Prof. I.M Pandey, Ex-faculty, Indian Institute of Management, Ahmedabad.

Member, [nominated under clause (f) of sub- section (2) of section 210A]

Joint Secretary, Tax
 Policy Law-II,
 Nominee of Central Board of Direct Taxes.

Member, [nominated under clause (g) of sub- section (2) of section 210A]

(10) Shri Rostow Ravanan, Nominee of Confederation of Indian Industry. Member, [nominated under clause (h) of sub-section (2) of section 210A]

(11) Shri Adesh Gupta, Nominee of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry

Member, [nominated under clause (h) of sub-section (2) of section 210A]

(12) Dr. Ashok Haldia, Nominee of Associated Chambers of Commerce and Industry of India

Member, [Nominated under clause (h) of sub-section (2) of section 210A].

(13) Shri S. Ravindran, Executive Director, Nominee of Securities Exchange Board of India.

Member, [nominated under clause (i) of sub- section (2) of section 210A]

- 2. The Chairperson and members shall hold office for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette or till the constitution of National Financial Reporting Authority under section 132 of the Companies Act, 2013, (18 of 2013) whichever is earlier.
- 3. This notification shall come into force on September, 2014.

[F.No.1/5/2001 -CL.V (Part V)]

(Amardeep Singh Bhatia)
Joint Secretary to the Govt. of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख: 18 सितंबर, 2014

का.आ. (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन कंपनी या कंपनियों के वर्ग द्वारा अंगीकृत किए जाने के लिए लेखा नीतियों और लेखा मानक बनाने और अधिकथित करने के संबंध में केंद्रीय सरकार को सलाह देने के लिए लेखा मानक राष्ट्रीय सलाहकार समिति नाम से ज्ञात सलाहकार समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

क्र.सं.	नाम और पदनाम	धारित पद
(1)	श्री अमरजीत चोपड़ा,	अध्यक्ष,
	चार्टर्ड एकांउंटेंट	[धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (क) के
		अधीन नामनिर्दिष्ट]
(2)	डॉ. ए. एस. दुर्गा प्रसाद,	सदस्य,
	अध्यक्ष, भारतीय लागत और	[धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ख) के
	संकर्म लेखाकार संस्थान के	अधीन नामनिर्दिष्ट]
	नामनिर्देशिती	
(3)	श्री आर. श्रीधरन, अध्यक्ष,	सदस्य,
	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान	[धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ख) के
	के नामनिर्देशिती	अधीन नामनिर्दिष्ट]
(4)	सीए. के. रघु, अध्यक्ष,	सदस्य,
	भारतीय चार्टर्ड एकांउंटेंट संस्थान	[धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ख) के
	के नामनिर्देशिती	अधीन नामनिर्दिष्ट]
(5)	संयुक्त सचिव,	सदस्य,
	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	[धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन
		नामनिर्दिष्ट]
(6)	श्री सुदर्शन सेन, प्रभारी मुख्य	सदस्य,
	महाप्रबंधक,	[धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन
	भारतीय रिजर्व बैंक के	नामनिर्दिष्ट]
	नामनिर्देशिती	

महालेखापरीक्षक के नामनिर्देशिती (8) प्रो. आई. एम. पाण्डेय, पूर्व संकाय सदस्य, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (9) संयुक्त सचिव, कर नीति कानून-॥, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नामनिर्देशिती (10) श्री रूस्ताव रवनन, भारतीय उद्योग परिसंघ के नामनिर्देशिती (11) श्री आदेश गुप्ता, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ के नामनिर्देशिती (12) डॉ. अशोक हिल्दया, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नामनिर्देशिती (13) श्री एस. रविन्द्रन, कार्यकारी निदेशक, भारतीय प्रतिभूति (14) श्री एस. रविन्द्रन, कार्यकारी निदेशक, भारतीय प्रतिभूति	_		
महालेखापरीक्षक के नामनिर्देशिती (8) प्रो. आई. एम. पाण्डेय, पूर्व संकाय सदस्य, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (9) संयुक्त सचिव, कर नीति कानून-॥, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नामनिर्देशिती (10) श्री रूस्ताव रवनन, भारतीय उद्योग परिसंघ के नामनिर्देशिती (11) श्री आदेश गुप्ता, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ के नामनिर्देशिती (12) डॉ. अशोक हिल्दया, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नामनिर्देशिती (13) श्री एस. रविन्द्रन, कार्यकारी (14) श्री एस. रविन्द्रन, कार्यकारी (15) श्री एस. रविन्द्रन, कार्यकारी (16) श्री एस. रविन्द्रन, कार्यकारी (17) श्री एस. रविन्द्रन, कार्यकारी (18) मंदरस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) वे अधीन नामनिर्देष्ट]	(7)	श्री पी शेष कुमार, महानिदेशक	सदस्य,
(8) प्रो. आई. एम. पाण्डेय, पूर्व संकाय सदस्य, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (9) संयुक्त सचिव, कर नीति कानून- ॥, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नामनिर्देशिती (10) श्री रूस्ताव रवनन, भारतीय उद्योग परिसंघ के नामनिर्देशिती (11) श्री आदेश गुप्ता, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ के नामनिर्देशिती (12) डॉ. अशोक हिल्दया, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नामनिर्देशिती (13) श्री एस. रविन्द्रन, कार्यकारी निदेशक, भारतीय प्रतिभृति		(वाणिज्यिक), भारत के नियंत्रक-	[धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ड.) के
संकाय सदस्य, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद अधीन नामनिर्दिष्ट] (9) संयुक्त सचिव, कर नीति कानून- ॥, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नामनिर्दिष्ती अधीन नामनिर्दिष्ट] (10) श्री रूस्ताव रवनन, भारतीय उद्योग परिसंघ के नामनिर्दिषिती [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (छ) वे अधीन नामनिर्दिष्ट] (11) श्री आदेश गुप्ता, भारतीय सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) वे अधीन नामनिर्दिष्ट] (11) श्री आदेश गुप्ता, भारतीय सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) वे अधीन नामनिर्दिष्ट] (12) डॉ. अशोक हिन्दिया, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नामनिर्दिषिती अधीन नामनिर्दिष्ट] (13) श्री एस. रविन्द्रन, कार्यकारी सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) वे अधीन नामनिर्दिष्ट]		महालेखापरीक्षक के नामनिर्देशिती	अधीन नामनिर्दिष्ट]
(9) संयुक्त सचिव, कर नीति कानून- ॥, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नामनिर्देशिती (10) श्री रूस्ताव रवनन, भारतीय उद्योग परिसंघ के नामनिर्देशिती (11) श्री आदेश गुप्ता, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ के नामनिर्देशिती (12) डॉ. अशोक हिल्दया, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नामनिर्देशिती (13) श्री एस. रविन्द्रन, कार्यकारी निदेशक, भारतीय प्रतिभूति (14) श्री एस. रविन्द्रन, कार्यकारी निदेशक, भारतीय प्रतिभूति (15) श्री एस. रविन्द्रन, कार्यकारी (16) स्वस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन नामनिर्दिष्ट]	(8)	प्रो. आई. एम. पाण्डेय, पूर्व	सदस्य,
(9) संयुक्त सचिव, कर नीति कानून- ॥, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नामनिर्देशिती (10) श्री रूस्ताव रवनन, भारतीय उद्योग परिसंघ के नामनिर्देशिती [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (छ) वे अधीन नामनिर्दिष्ट] (11) श्री आदेश गुप्ता, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ के नामनिर्देशिती [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) वे अधीन नामनिर्दिष्ट] (12) डॉ. अशोक हिल्दया, एसोसिएटेड सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) वे अधीन नामनिर्दिष्ट] (13) श्री एस. रविन्द्रन, कार्यकारी सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) वे अधीन नामनिर्दिष्ट] (13) श्री एस. रविन्द्रन, कार्यकारी सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) वे अधीन नामनिर्दिष्ट]		संकाय सदस्य, भारतीय प्रबंधन	[धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (च) के
(10) श्री रूस्ताव रवनन, भारतीय सदस्य, उद्योग परिसंघ के नामनिर्देशिती (धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (छ) वे अधीन नामनिर्दिष्ट] (11) श्री रूस्ताव रवनन, भारतीय सदस्य, उद्योग परिसंघ के नामनिर्देशिती (धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) वे अधीन नामनिर्दिष्ट] (11) श्री आदेश गुप्ता, भारतीय सदस्य, वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ के नामनिर्देशिती (धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) वे के नामनिर्देशिती अधीन नामनिर्दिष्ट] (12) डॉ. अशोक हिल्दया, एसोसिएटेड सदस्य, धमेन्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आंप 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) वे अधीन नामनिर्दिष्ट] (13) श्री एस. रविन्द्रन, कार्यकारी सदस्य, निदेशक, भारतीय प्रतिभूति (धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (झ) वे		संस्थान, अहमदाबाद	अधीन नामनिर्दिष्ट]
(10) श्री रूस्ताव रवनन, भारतीय सदस्य, उद्योग परिसंघ के नामनिर्देशिती [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) वे अधीन नामनिर्देष्ट] (11) श्री आदेश गुप्ता, भारतीय सदस्य, वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ के नामनिर्देशिती [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) वे के नामनिर्देशिती अधीन नामनिर्दिष्ट] (12) डॉ. अशोक हिल्दया, एसोसिएटेड सदस्य, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) वे ऑफ इंडिया के नामनिर्देशिती अधीन नामनिर्दिष्ट] (13) श्री एस. रविन्द्रन, कार्यकारी सदस्य, निदेशक, भारतीय प्रतिभूति [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (झ) वे	(9)	संयुक्त सचिव, कर नीति कानून-	सदस्य,
(10) श्री रूस्ताव रवनन, भारतीय सदस्य, उद्योग परिसंघ के नामनिर्देशिती [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) वे अधीन नामनिर्दिष्ट] (11) श्री आदेश गुप्ता, भारतीय सदस्य, वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ के नामनिर्देशिती (धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) वे के नामनिर्देशिती अधीन नामनिर्दिष्ट] (12) डॉ. अशोक हल्दिया, एसोसिएटेड सदस्य, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) वे ऑफ इंडिया के नामनिर्देशिती अधीन नामनिर्दिष्ट] (13) श्री एस. रविन्द्रन, कार्यकारी सदस्य, निदेशक, भारतीय प्रतिभूति [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (झ) वे		II, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के	[धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (छ) के
उद्योग परिसंघ के नामनिर्देशिती [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) वे अधीन नामनिर्दिष्ट] (11) श्री आदेश गुप्ता, भारतीय सदस्य, वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ के नामनिर्देशिती धीन नामनिर्दिष्ट] (12) डॉ. अशोक हल्दिया, एसोसिएटेड सदस्य, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नामनिर्देशिती अधीन नामनिर्दिष्ट] (13) श्री एस. रविन्द्रन, कार्यकारी सदस्य, निदेशक, भारतीय प्रतिभूति [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) वे अधीन नामनिर्दिष्ट]		नामनिर्देशिती	अधीन नामनिर्दिष्ट]
(11) श्री आदेश गुप्ता, भारतीय सदस्य, वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ के नामनिर्देशिती (12) डॉ. अशोक हल्दिया, एसोसिएटेड सदस्य, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नामनिर्देशिती अधीन नामनिर्दिष्ट] (13) श्री एस. रविन्द्रन, कार्यकारी निदेशक, भारतीय प्रतिभूति [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज्ञ) के विदेशक, भारतीय प्रतिभूति [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (झ) के	(10)	श्री रूस्ताव रवनन, भारतीय	सदस्य,
(11) श्री आदेश गुप्ता, भारतीय सदस्य, वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ कि नामनिर्देशिती अधीन नामनिर्दिष्ट] (12) डॉ. अशोक हल्दिया, एसोसिएटेड सदस्य, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आधीन नामनिर्दिष्ट] (13) श्री एस. रविन्द्रन, कार्यकारी सदस्य, निदेशक, भारतीय प्रतिभूति [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज्ञ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]		उद्योग परिसंघ के नामनिर्देशिती	[धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) के
वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) के के नामनिर्देशिती (12) डॉ. अशोक हिल्दिया, एसोसिएटेड सदस्य, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) के ऑफ इंडिया के नामनिर्देशिती (13) श्री एस. रविन्द्रन, कार्यकारी सदस्य, निदेशक, भारतीय प्रतिभूति [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (झ) के			अधीन नामनिर्दिष्ट]
के नामनिर्देशिती (12) डॉ. अशोक हल्दिया, एसोसिएटेड सदस्य, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) के ऑफ इंडिया के नामनिर्देशिती (13) श्री एस. रविन्द्रन, कार्यकारी सदस्य, निदेशक, भारतीय प्रतिभूति [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (झ) के	(11)	श्री आदेश गुप्ता, भारतीय	सदस्य,
(12) डॉ. अशोक हिन्दिया, एसोसिएटेड सदस्य, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) वे ऑफ इंडिया के नामनिर्देशिती अधीन नामनिर्दिष्ट] (13) श्री एस. रविन्द्रन, कार्यकारी सदस्य, निदेशक, भारतीय प्रतिभूति [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (झ) वे		वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ	[धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) के
चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) वे ऑफ इंडिया के नामनिर्देशिती अधीन नामनिर्दिष्ट] (13) श्री एस. रविन्द्रन, कार्यकारी सदस्य, निदेशक, भारतीय प्रतिभूति [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (झ) वे		के नामनिर्देशिती	अधीन नामनिर्दिष्ट]
आँफ इंडिया के नामनिर्देशिती अधीन नामनिर्दिष्ट] (13) श्री एस. रविन्द्रन, कार्यकारी सदस्य, निदेशक, भारतीय प्रतिभूति [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (झ) के	(12)	डॉ. अशोक हल्दिया, एसोसिएटेड	सदस्य,
(13) श्री एस. रविन्द्रन, कार्यकारी सदस्य, निदेशक, भारतीय प्रतिभूति [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (झ) वे		चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री	[धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) के
निदेशक, भारतीय प्रतिभूति [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (झ) वे		ऑफ इंडिया के नामनिर्देशिती	अधीन नामनिर्दिष्ट]
	(13)	श्री एस. रविन्द्रन, कार्यकारी	सदस्य,
विनिमय बोर्ड के नामनिर्देशिती अधीन नामनिर्दिष्ट]		निदेशक, भारतीय प्रतिभूति	[धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (झ) के
		विनिमय बोर्ड के नामनिर्देशिती	अधीन नामनिर्दिष्ट]

- 2. अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अविध के लिए अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 132 के अधीन राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के गठन तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे।
- 3. यह अधिसूचना 🌃 सितंबर, 2014 से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 1/5/2001-सीएल-V (भाग-V)]

(अमरदीप सिंह भाटिया)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार